न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 10/2024 बउनवानी देवीलाल बैरवा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री सुवालाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाईमाधोपुर
GCMS No-2024/24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.4.2024	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 23.01.2024 को लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. दिनांक 12.1.2024 को आवेदन के जरिये स्पीड पोस्ट एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रेषित किया था जिसमे आवेदन द्वारा ये सूचना चाहिऐ कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी क्र.स. 1 से 12 तक की की गयी तरमीम के नक्शो की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभय पक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/24/301 दिनांक 4.2.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.1.2024 मे चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 12.1.2024 मे वर्णित ख0न0 का नक्शा ट्रेस) तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 95 दिनांक 4.3.2024 से अपीलान्ट को भिजवाया जा चुका है तथा उक्त ख0न0 के सीमाज्ञान की कार्यवाही हेतु नियमानुसार सक्षम स्तर पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया ।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.01.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 12.1.2024 मे वर्णित ख0न0 का नक्शा ट्रेस) तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 95 दिनांक 4.3.2024 से अपीलान्ट को भिजवाया जा चुका है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.1.2024 मे अंकित ख0न0 के सीमाज्ञान की कार्यवाही के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है अथवा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:06:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner